धन शोधन निवारण/काले धन को बैध बनाने पर रोक संबंधी अधिनियम, 2002 उसके अंतर्गत अधिसूचित नियमावली के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के दायित्व

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया था कि वे एक प्रधान अधिकारी की नियुक्ति करें और संदिग्ध एवं 10 लाख रुपए तथा अधिक के नकद लेनदेनों को रिपोर्ट करने के लिए एक आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली लागू करें। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तत्संबंधी नियमावली के बारे में 1 जुलाई 2005 की अधिसूचना भारत के राजपत्र में जारी की थी। नियमावली के अनुसार 1 जुलाई 2005 से धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 लागू हो गया है। धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 12 के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा ग्राहकों के खातों से संबंधित सूचना को अनुरक्षित एवं रिपोर्ट करने के दायित्व हैं। अस्तु गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 एवं उसके अंतर्गत अधिसूचित नियमावली के प्रावधानों का अध्ययन करें और उक्त अधिनियम की धारा 12 की अपेक्षाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं।

2. लेनदेनों के रिकार्डों का रखरखाव

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को चाहिए कि वे नियम 3 के अंतर्गत निर्धारित लेन-देनों का उचित रिकार्ड रखने की प्रणाली शुरूकरें जैसा कि नीचे बताया गया है :

(i) विदेशी मुद्रा में दस लाख रुपये से अधिक मूल्य वाले अथवा उसके समकक्ष मूल्य के सभी नकद लेनदेन;

(ii) समग्र रूप में एक दूसरे से संबद्ध नकद लेनदेनों की सभी श्रृंखलाएँ जिनका मूल्यांकन विदेशी मुद्रा में दस लाख रुपये से कम अथवा उसके समकक्ष किया गया है जहाँ ऐसे लेनदेन एक महीने के भीतर घटित हुए हैं और ऐसे लेनदेनों का कुल मूल्य दस लाख रुपये से अधिक हो जाता है;

(iii) ऐसे सभी नकद लेनदेन जहाँ नकली और जाली करेंसी नोटों या बैंक नोटों का प्रयोग असली नोटों के रूप में किया गया है तथा जहाँ किसी मूल्यवान प्रतिभूति की जालसाजी की गई है;

(iv) सभी संदिग्ध लेनदेन चाहे नकदी में किये गये हैं या नहीं और जो लेनदेन धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए उक्त नियमों के अंतर्गत किए गए हैं ।

3. परिरक्षित की जानेवाली सूचना

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अपेक्षित है कि वे नियम 3 में उल्लिखित लेनदेनों के संबंध में निम्नलिखित सूचना का परिरक्षण करें :

(i) लेनदेनों का स्वरूप;
(ii) लेनदेन की राशि और वह मुद्रा जिसमें उसका मूल्यवर्गीकरण किया गया;
(iii) वह तारीख जब लेनदेन संचालित किया गया; तथा
(iv) लेनदेन के पक्षकार ।

4. रिकार्डों का रखरखाव और परिरक्षण

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ लेखों संबंधी सूचना के उचित रखरखाव और परिरक्षण की ऐसी प्रणाली विकसित करें ताकि इससे आवश्यकता पड़ने पर या जब भी सक्षम प्राधिकारियों द्वारा इनके लिए अनुरोध किया जाए तब आसानी से और तुरंत यह आँकड़े पुनः उपलब्ध हो सकें। इसके अलावा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ ग्राहक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनीं के बीच लेनदेन के बंद होने की तारीख से कम से कम दस वर्षों तक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के लेनदेनों के सभी आवश्यक रिकार्डों का अनुरक्षण करें, जिससे अलग-अलग लेनदेनों के पुनर्निर्माण (शामिल राशि तथा यदि कोई विदेशी मुद्रा हो तो उसके प्रकार सहित) में मदद मिलेगी ताकि यदि जरूरत पड़े तो आपराधिक गतिविधियों के अभियोजन के लिए साक्ष्य प्रदान किया जा सके।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ यह सुनिश्चित करें कि ग्राहक द्वारा खाता खोलते समय तथा कारोबारी संबंध बने रहने के दौरान उसकी पहचान और पते के संबंध में प्राप्त अभिलेख (जैसे पासपोर्टों, पहचान पत्रों, ड्राइविंग लाइसेंसों, पैन, उपभोक्ता बिलों जैसे दस्तावेजों आदि की प्रतिलिपियाँ) कारोबारी संबंध के समाप्त हो जाने के बाद कम से

कम दस वर्ष तक उचित रूप में सुरक्षित रखे जाएँ। सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुरोध किए जाने पर पहचान के रिकार्ड और लेनदेन के आँकड़े उन्हें उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

5. वित्तीय आसूचना एकक - भारत को रिपोर्टिंग

यह सूचित किया जाता है कि पीएमएलए नियमों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अपेक्षित है कि वे नकदी और संदेहास्पद लेनदेनों की सूचना निम्नांकित पते पर निदेशक, वित्तीय आसूचना एकक-भारत (एफआइयू -आइएनडी) को दें :

निदेशक, एफआइयू - आइएनडी,
वित्तीय आसूचना एकक -भारत,
6वीं मंजिल, होटल सम्राट,
चाणक्यपुरी,
नई दिल्ली - 110 021

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ सभी रिपोर्टिंग फार्मेटों को ध्यान से पढ़ें। कुल मिलाकर बैंकिग कंपनियों के लिए पाँच रिपोर्टिंग फार्मेट हैं अर्थात् (i) नकदी लेनदेनों की मैन्युअल रिपोर्टिंग (ii) संदेहास्पद लेनदेनों की मैन्युअल रिपोर्टिंग (iii) बैंक के प्रधान अधिकारी द्वारा नकदी लेनदेनों की समेकित रिपोर्टिंग (iv) नकदी लेनदेनों की रिपोर्टिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक डाटा संरचना और (v) संदेहास्पद लेनदेनों की रिपोर्टिंग के लिए इलेक्ट्रानिक डाटा संरचना जो इस परिपत्र के साथ संलग्न हैं। रिपोर्ट करने के प्रपत्रों में रिपोर्टों के संकलन तथा एफआइयू आइएनडी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के तरीके /प्रक्रिया के विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं। **गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे बैंकों के लिए निर्धारित फार्मेटों को आवश्यक संशोधनों के साथ अपनाएं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कदम उठाने के संबंध में यथाशीघ्र पहल करें।** इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रिपोर्टें तैयार करने के लिए संबंधित हार्डवेयर और तकनीकी आवश्यकता, संबंधित डाटा फाइलें तथा उनकी डाटा संरचना संबंधित फार्मेटों के अनुदेश वाले भाग में दी गई हैं। तथापि, जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टें तुरंत फाइल करने की स्थिति में नहीं हैं, वे

एफआइयू - आइएनडी को मैन्युअल रिपोर्टें फाइल करें। जबकि सभी प्रकार की रिपोर्टें फाइल करने के विस्तृत अनुदेश संबंधित फार्मेटों के अनुदेश वाले भाग में दिये गये हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ निम्नलिखित बातों का अत्यंत सावधानी से पालन करें :

(क) प्रत्येक माह की नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) अगले महीने की 15 तारीख तक एफआइयू -आइएनडी को प्रस्तुत कर देनी चाहिए। सीटीआर फाइल करते समय, पचास हजार रुपये से कम राशि के अलग-अलग लेनदेनों को शामिल न किया जाए।

(ख) कोई भी लेनदेन चाहे नकदी हो या नकदी से इतर या लेनदेनों की एक श्रृंखला जो समग्रतः आपस में जुड़े हों, संदिग्ध स्वरूप के हैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचने के 7 दिनों के भीतर संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) प्रस्तुत कर देनी चाहिए। प्रधान अधिकारी को वे कारण रिकार्ड करने चाहिए जिससे किसी लेनदेन या लेनदेनों की श्रृंखला को संदिग्ग्ध माना गया है। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी शाखा या अन्य कार्यालय से संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ऐसे किसी निर्णय पर पहुँचने में अनावश्यक देरी न हो। ऐसी रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारियों के अनुरोध पर उन्हें उपलब्ध करायी जाए;

(ग) एफआइयू - आइएनडी को समय पर सीटीआर और एसटीआर रिपोर्टें प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व प्रधान अधिकारी का होगा ।

(घ) एफआइयू - आइएनडी को सीटीआर और एसटीआर फाइल करते समय अत्यंत गोपनीयता बरती जाए। ये रिपोर्टें अधिसूचित पते पर स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट, फैक्स, ई-मेल द्वारा भेजी जाए।

(ङ) यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी शाखाओं की रिपोर्टें किसी एक पद्धति अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक या मैन्युअल द्वारा ही भेजी जाएँ।

(च) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के प्रधान अधिकारी द्वारा समग्र रूप में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के समूचे नकदी लेनदेनों की रिपोर्ट का सारांश विनिर्दिष्ट प्रपत्र के अनुसार भौतिक रूप में संकलित किया जाना चाहिए। इस संक्षिप्त रिपोर्ट पर प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए तथा मैन्युअल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों प्रकार की रिपोर्टिंग के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

6. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ उन खातों पर कोई प्रतिबंध न लगाएं जहां एसटीआर रिपोर्ट भेजी गई है। तथापि यह सुनिश्चित किया जाए कि ग्राहक को किसी भी स्तर से सचेत (टिपिंग ऑफ़) न किया जाए ।

7. ये अनुदेश भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ट तथाा 45ठ तथा धन शोधन निवारण (बैंककारी कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं के ग्राहकों और मध्यवर्तियों के संव्यवहारों की प्रकृति और मूल्यों के अभिलेखों का अनुरक्षण, अनुरक्षण की प्रक्रिया और रीति तथा सूचना प्रस्तुत करने का समय और उनके ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और अनुरक्षण) नियमावली, 2005 के नियम 7 के अंतर्गत जारी किये जाते हैं तथा इनका किसी भी प्रकार से उल्लंघन होने पर अथवा इनका अनुपालन नहीं करने पर दंड की कार्रवाई की जाएगी।

8. धन शोधन निवारण (बैंककारी कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं के ग्राहकों और मध्यवर्तियों के संव्यवहारों की प्रकृति और मूल्यों के अभिलेखों का अनुरक्षण, अनुरक्षण की प्रक्रिया और रीति तथा सूचना प्रस्तुत करने का समय और उनके ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और अनुरक्षण) नियमावली, 2005 की एक प्रति तुरंत संदर्भ के लिए संलग्न है।5 अप्रैल 2006 का परिपत्र सं.गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.68/03.10.042/2005-06

9. 21 फरवरी 2005 के हमारे परिपत्र में दिए गए 'अपने ग्राहक को जानिए मानदंड/धन शोधन निवारण उपायों से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अपेक्षित है कि जोखिम वर्गीकरण के आधार पर वे प्रत्येक ग्राहक की प्रोफाइल तैयार करें। इसके अलावा 5 अप्रैल 2006 के हमारे परिपत्र सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 68/03.10.042/ 2005-06 के पैराग्राफ 4 में जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा करने पर बल दिया गया है। अस्तु इस बात को दोहराया जाता है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अपेक्षित है कि वे एक ऐसा साफ्टवेयर लगाएं जो जोखिम वर्गीकरण से भिन्न लेनदेन होने एवं जोखिम प्रोफाइल के अद्यतन होने पर चेतावनी का संकेत दे। हालांकि, इस बात को दोहराने की आवश्यकता नहीं है फिर भी अवगत

कराया जाता है कि संदिग्ध लेनदेनों की प्रभावी पहचान और रिपोर्टिंग के लिए चेतावनी संकेतक देने वाले एक सशक्त साफ्टवेयर का होना बहुत जरूरी है।

10. 5 अप्रैल 2006 के हमारे उपर्युक्त परिपत्र के पैराग्राफ 7 में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया था कि वे एफआइयू-आइएनडी को भेजी जाने वाली नकद लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) तथा संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) को इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। एफआइयू-आइएनडी ने सूचित किया है कि अनेक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अब भी इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टें फाइल की जानी शेष हैं। अतः सूचित किया जाता है कि उन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मामले में जहां सभी शाखाएं अभी तक पूर्णतः कंप्यूटरीकृत नहीं हुई हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के प्रधान अधिकारी को चाहिए कि वह कंप्यूटरीकृत नहीं हुई शाखाओं से लेनदेन के ब्यौरों को छांटकर(उचित रूप में व्यवस्थित कर), उन्हें एफआइयू-आइएनडी द्वारा अपनी वेबसाइट http://fiuindia.gov.in पर उपलब्ध कराई गयी सीटीआर/एसटीआर की एडिटेबल इलैक्ट्रॉनिक यूटिलिटिज की सहायता से एक इलैक्ट्रॉनिक फाइल में फीड करने की उपयुक्त व्यवस्था करे।

11. 5 अप्रैल 2006 के हमारे उपर्युक्त परिपत्र के पैराग्राफ 7(I) (क) में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया था कि वे प्रत्येक महीने की नकद लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) एफआइयू-आइएनडी को परवर्ती महीने की 15 तारीख तक अवश्य भेज दें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की शाखाओं/ कार्यालयों द्वारा अपने प्रधान अधिकारी को भेजी जाने वाली नकद लेनदेन रिपोर्ट अनिवार्यतःमासिक आधार **(पाक्षिक आधार पर नहीं)** पर प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा इसी प्रकार प्रधान अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार एफआइयू-आइएनडी को प्रत्येक महीने की सीटीआर प्रस्तुत की जाती है।

ख

12. सीटीआर के संबंध में यह पुनः सूचित किया जाता है कि दस लाख रुपये की उच्चतम सीमा (कट आफ लिमिट) आपस में जुड़े नकद लेनदेनों पर भी लागू होगी। इसके अलावा, एफआइयू-आइएनडी के साथ विचार - विमर्श करने के बाद यह स्पष्ट किया जाता है कि :

क) आपस में जुड़े नकद लेनदेनों को निर्धारित करने के लिए, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को **एक कैलेंडर महीने के दौरान किसी खाते** में किए गए ऐसे सभी अलग-अलग नकद लेनदेनों को ध्यान में लेना होगा जहां नामे अथवा जमा प्रविष्टियों का अलग-अलग योग महीने के दौरान दस लाख रुपये से अधिक है। तथापि, सीटीआर फाइल करते समय, पचास हजार रुपये से कम के अलग-अलग नकद लेनदेनों के ब्यौरों को न दर्शाया जाए। आपस में जुड़े नकद लेनदेनों का उदाहरण अनुबंध - 1 में दिया गया है।

ख) सीटीआर में केवल वही लेनदेन होने चाहिए **जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने अपने ग्राहकों की ओर से किए हैं** जिसमें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के आंतरिक खातों के बीच किए गए लेनदेन शामिल नहीं होंगे।

ग) जहां जाली अथवा नकली भारतीय मुद्रा नोटों का असली नोटों के रूप में उपयोग किया गया हो, वहां ऐसे सभी नकद लेनदेनों की सूचना प्रधान अधिकारी द्वारा अनुबंध II तथा III में दिए गए फॉर्मेट में एफआइयू-आइएनडी को तत्काल भेजी जानी चाहिए। अनुबंध IV में इलेक्ट्रानिक डाटा का ढांचा दिया गया है ताकि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ इलेक्ट्रानिक फार्म में 'जाली मुद्रा संबंधी रिपोर्ट (सीसीआर)' तैयार कर सकें। इन नकद लेनदेनों में ऐसे लेनदेन भी शामिल होने चाहिए जहां मूल्यवान प्रतिभूति अथवा दस्तावेजों की जालसाजी की गई हो तथा यह सूचना एफआइयू-आइएनडी को प्लेन टेक्स्ट में भेजी जानी चाहिए।

13. 21 फरवरी 2005 के हमारे परिपत्र गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि.सं. 48/10.42/2004-05 के संलग्नक 'अपने ग्राहक को जानिए मानदंड/धन शोधन निवारण उपायों से संबंधित दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 4 में बतलाये अनुसार गैर बैंकिंग

वित्तीय कंपनियों से अपेक्षित है कि वे सभी जटिल, असामान्य रूप से बड़े लेनदेन और लेनदेन के ऐसे असामान्य स्वरूप की ओर विशेष ध्यान दें जिनका कोई सुस्पष्ट आर्थिक अथवा विधि सम्मत प्रयोजन न हो। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जहां तक संभव हो ऐसे लेनदेन से संबंधित सभी दस्तावेज / कार्यालयीन अभिलेख/ ज्ञापन सहित उसकी पृष्ठभूमि तथा उसके प्रयोजन की जांच की जाए तथा शाखा तथा प्रधान अधिकारी दोनों स्तर पर प्राप्त निष्कर्षों को उचित रूप से रिकार्ड किया जाए। धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की अपेक्षा के अनुसार इन अभिलेखों को दस वर्ष की अवधि के लिए परिरक्षित किया जाना है। लेनदेनों की संवीक्षा से संबंधित कार्य करने में लेखापरीक्षकों की सहायता के लिए तथा रिज़र्व बैंक/अन्य संबंधित प्राधिकारियों को भी ऐसे रिकार्ड तथा संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराये जाएँ।

14. 5 अप्रैल 2006 के परिपत्र के पैराग्राफ 7 में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया है कि एफआइयू-आइएनडी को उनके द्वारा भेजे गए एसटीआर के बारे में ग्राहक को पता नहीं चलना चाहिए। यह संभव है कि कुछ मामलों में ग्राहकों को कुछ ब्योरे देने अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहे जाने पर ग्राहक अपने लेनदेन का परित्याग कर दे अथवा उसे बीच में ही रोक दे। यह स्पष्ट किया जाता है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को लेनदेन के ऐसे सभी **प्रयासों के संबंध में एसटीआर** में सूचना देनी चाहिए, भले ही ग्राहकों ने इन लेनदेनों को अधूरा छोड़ दिया हो।

15. एसटीआर तैयार करते समय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ *पूर्वोक्त* नियमावली के नियम 2 (छ) में निहित 'संदिग्ध लेनदेन' की परिभाषा को ध्यान में रखें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ **लेनदेन की राशि पर** तथा /अथवा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की अनुसूची के भाग - ख में निरूपित अपराधों के लिए परिकल्पित न्यूनतम सीमा पर **ध्यान दिए बिना** एसटीआर तब बनाए जाएं जब यह विश्वास करने के लिए उनके पास उचित आधार हो कि लेनदेन में सामान्यतः अपराध से प्राप्त राशि सम्मिलित है।

16. स्टाफ को अपने ग्राहक को जानिए /धन शोधन निवारण के संबंध में जागरूक बनाने तथा संदिग्ध लेनदेनों के संबंध में सतर्कता संकेत तैयार करने के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अनुबंध V में निहित संदिग्ध गतिविधियों की निदर्शी सूची देखें।

17. ये दिशानिर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-ट तथा 45-ठ के अधीन जारी किए गए हैं। उक्त दिशानिर्देशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन करने पर अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत दंड दिया जा सकता है ।

5 अगस्त 2008 का परिपत्र सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं.126/03.10.42/2008-09 में ब्योरे दिए गए हैं

xxxxx

आपस में जुड़े नकद लेनदेन का उदाहरण

अप्रैल 2008 माह के दौरान गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में निम्नलिखित लेनदेन हुए :

तारीख	माध्यम	नामे (रुपये में)	जमा (रुपये में)	शेष (रुपये में) आगे लाया गया (B/F)
02/04/2008	नकद	5,00,000.00	3,00,000.00	6,00,000.00
07/04/2008	नकद	40,000.00	2,00,000.00	7,60,000.00
08/04/2008	नकद	4,70,000.00	1,00,000.00	3,90,000.00
मासिक संकलन		**10,10,000.00**	**6,00,000.00**	8,00,000.00

i) उपर्युक्त स्पष्टीकरण के अनुसार, ऊपर दिए उदाहरण में जो नामे लेनदेन हैं वे आपस में जुड़े नकद लेनदेन हैं क्योंकि कैलेंडर माह के दौरान कुल नकद नामे लेनदेन 10 लाख रुपये से अधिक हैं। तथापि, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को केवल 02/04 तथा 08/04/2008 को हुए लेनदेनों को रिपोर्ट करना चाहिए। 07/04/2008 के नामे लेनदेन को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अलग से रिपोर्ट न करें क्योंकि वह 50,000/- रुपये से कम है।

ii) उपर्युक्त उदाहरण में दिए गए सभी जमा लेनदेनों को आपस में जुड़ा नहीं समझा जाएगा, क्योंकि माह के दौरान जमा लेनदेन का कुल योग दस लाख रुपये से अधिक नहीं है। अतः, 02, 07 तथा 08/04/2008 के जमा लेनदेन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा रिपोर्ट नहीं किए जाने चाहिए ।

******

संदिग्ध गतिविधियों वाले लेनदेन, जिनमें बड़ी मात्रा में नकदी वाले लेनदेन शामिल हैं, की निदर्शी सूची

कंपनी के सामान्य वाणिज्यिक परिचालनों से संबंधित लेनदेन सामान्य रूप में जैसे चैक से होने के बजाय उनमें असामान्य स्वरूप की बड़ी मात्रा के नकदी लेनदेनों की बहुतायत का होना।

आर्थिक तर्कसंगति से भिन्न लेनदेन

जब तक ग्राहक की गतिविधियों/कार्यों के अनुसार तत्काल स्वरूप के लेनदेन सत्य प्रतीत न होते हों तब तक हुए ऐसे लेनदेन जिनमें परिसंपत्तियाँ जमा होने के तुरंत बाद आहरित की गईं/वापस ली गई हों।

वे गतिविधियाँ जिनकी ग्राहक के कारोबार से संगति न बैठती हो

जहाँ खातों में बड़ी मात्रा में राशियाँ जमा की गई हों जबकि ग्राहक के कारोबार के स्वरूप से उनकी संगति न बैठती हो।

रिपोर्टिंग/रेकार्ड रखने की अपेक्षा से बचने के प्रयास

(i) रिपोर्ट फाइल की गई है या यह जानने पर कि लेनदेन करने पर रिपोर्ट अवश्य फाइल की जाएगी, किसी ग्राहक द्वारा किसी अधिदेशात्मक रिपोर्ट के लिए वांछित सूचना देने में आनाकानी/के प्रति अनिच्छा।

(ii) यदि कोई व्यक्ति या ग्रुप रिपोर्ट या अन्य फार्म फाइल करने की बात जानकर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के कर्मचारी को ऐसा न करने के लिए धमकाता है/प्रलोभन देता है या धमकाने या प्रलोभन देने का प्रयत्न करता है।

(iii) ऐसा खाता जिसमें नकद लेनदेन की कमतर राशि की अनेक आवृत्तियाँ हों और यह प्रतीत हो कि ग्राहक रिपोर्ट की जाने वाली सीमा से बचने के लिए जानबूझकर कमतर राशि के लेनदेन कर रहा है ताकि उन्हें रिपोर्ट न किया जाए।

असामान्य कार्य/गतिविधियाँ

धनशोधन के लिए जिन देशों को जाना जाता है उनसे आने वाली निधियाँ।

ऐसे ग्राहक जो अपर्याप्त या संदिग्ध सूचना देते हैं

(i) ऐसा ग्राहक/ऐसी कंपनी जो कारोबार के प्रयोजन, पूर्व कारोबरी संबंधों, अधिकारियों या निदेशकों या उसके /उनके पते के बारे में पूर्ण जानकारी देने के प्रति अनिच्छुक है।

(ii) ऐसा ग्राहक/ऐसी कंपनी जो कारोबार के ब्योरे या वित्तीय विवरण देने के प्रति अनिच्छुक है।

(iii) ऐसा ग्राहक जिसके नियोजन का पिछला या वर्तमान अभिलेख नहीं है किन्तु बार-बार बड़े लेनेदन करता है।

<u>गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के कतिपय ऐसे कर्मचारी जो संदेह पैदा करते हों</u>

(i) ऐसा कर्मचारी जिसकी भव्यता पूर्ण जीवन शैली उसके वेतन से मेल न खाती हो।

(ii) जिस कर्मचारी द्वारा लापरवाही/जानबूझकर अनदेखी करने के बारे में बार-बार रिपोर्ट मिली हो।

उन संदिग्ध गतिविधियों/लेनदेनों के उदाहरण
<u>जिनकी परिचालन स्टाफ द्वारा निगरानी की जानी चाहिए</u>

- बड़े नकद लेनदेन
- एक ही व्यक्ति के बहुत से खाते
- निधियों को मियादी जमाराशियों के रूप में रखकर उन्हीं की प्रतिभूति पर और ऋण लेना
- एकाएक गतिविधियों के स्तर में उफान
- वही राशि बार-बार अनेक खातों में बदलती रहना।

xxxxx

परिपत्रों की सूची

क्र.	परिपत्र सं.	दिनांक
1.	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.68/03.10.042/2005-06	5 अप्रैल 2006
2.	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं.126/03.10.42/2008-09	5 अगस्त 2008

****